दिनांक 08.05.2020

बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों पर निगम कर रही है चालानी कार्यवाही, सोशल डिस्टेंस का पालन कराने आज सुबह से ही निरीक्षण में निकली निगम की टीम

भिलाईनगर/ निगम भिलाई के जोन के अधिकारी/कर्मचारी आज सुबह से ही टीम बनाकर दुकानों एवं व्यवसायिक स्थलों का निरीक्षण सोशल डिस्टेंस को लेकर किए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर जुर्माना लगाया! कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है। मास्क नहीं पहनने एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वालों के खिलाफ भिलाई निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। जोन क्रं. 01 नेहरू नगर के दुकान में संचालक द्वारा मास्क नहीं लगाने पर 2 दुकानदारों से एक-एक हजार रूपए अर्थदंड वसूला गया। जोन कं. 04 मदर टेरेसा नगर में मास्क नहीं लगाने वाले 8 लोगों से 2500 रूपए अर्थदंड लिया गया।
निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क या अन्य उपाय से चेहरा को कवर किए बिना निकलने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही की। निगम की टीम बाजार क्षेत्र, दुकानों व ग्राहकों का निरंतर निरीक्षण कर रहे है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर रहे है। निगम की टीम विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों के अधिक आवागमन वाले चौक चौराहों पर दुपहिया वाहन एवं चार पहिया में अधिक सवारी पाए जाने पर अर्थदंड की कार्यवाही कर रहे हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी